एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, अष्टमी,
बुधवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

4 दिसंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

हैदराबाद की घटना के विरोध में राष्ट्र सेविका समिति का प्रदर्शन

नई दिल्ली

महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति, महिला समन्वय और हिन्दू जागरण मंच ने हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी और उसे जिंदा जला कर मारे जाने के खिलाफ जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने हत्यारे बलात्कारियों के पुतलों को फांसी भी दी।

विदूषी शर्मा, सह प्रांत कार्यवाहिका, राष्ट्र सेविका समिति, ने कहा कि भारत में नारी सदैव पूजनीय रही है। हर कीमत पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे वीभत्स काम करने वाले लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए. मैं फांसी की सजा के पक्ष में नहीं हूं। ऐसे दुष्कर्मियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनका आने वाला हर दिन और हर पल उनके लिए किसी सजा से कम न हो।

महिला वक्ताओं ने कहा कि माताओं को जागृत होना चाहिए। उन्हें अपने ऐसे दुष्कर्मी बेटों को स्वयं सजा दिलवानी चाहिए। अगर निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा मिल जाती तो आज एक बेटी के साथ फिर ऐसी दरिंदगी नहीं होती।

अनिल त्रिपाठी, अध्यक्ष, हिन्दू जागरण मंच, दिल्ली ने कहा कि ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता पर कलंक है। सरकार को ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने तेलंगाना सरकार और वहां के गृह मंत्री मौहम्मद महमूद अली के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हादसे की जगह से डॉक्टर के अलावा एक और महिला की जली लाश मिली। ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत कितनी लचर है। लेकिन गृह मंत्री हादसे के लिए डॉक्टर को ही कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये निंदनीय है, तेलंगाना के गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।

एकात्म भारत ई-पेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं । इएकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध है। आप ई-मेल ekatmabharat1@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।

महाराष्ट्र में हिन्दू धर्म की आलोचना कर बनाया जा रहा था ईसाई

ठाणे

महाराष्ट्र में हिन्दू धर्म की आलोचना करके बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की कोशिश करने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मारुति देवनूर, अमर गौतम और अजय वदवाव हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नापोली थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी एक दिसंबर को भिवंडी नगर में धर्मपरिवर्तन कराने के उद्देश्य से गए थे। उन्होंने वहां हिन्दू धर्म के देवताओं के विरुद्ध अनर्गल बातें कहीं और ईसाई धर्म अपनाने की बाते करने लगे। इसके बाद पुलिस को इनकी शिकायत की गई।

ईसाई बनने के लिए ईनाम मिलने का लालच भी दिया जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने समूह के सदस्यों से कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर इनाम दिया जाता है। इनाम का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने यह भी कहा कि अगर वे समाज में धर्म परिवर्तन के संदेश का प्रसार करते हैं तो उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। फिलहाल आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए तथा धारा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि ये लोग कब से इस काम में लगे थे।

आते रहे हैं इस तरह के मामले

भारत में ईसाई मिशनरीज और उनसे जुड़े संगठनों पर धर्मांतरण के आरोप नए नहीं हैं। देश के बड़े भू-भाग में इसके माध्यम से धार्मिक संतुलन बिगाड़ दिया गया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से कमजोर लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है। धर्म परिवर्तन के मामलों में कई बार पहले भी पादरियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश के जनजातीय बहुल क्षेत्र लंबे समय से इसके शिकार रहे हैं। जिनमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडीसा और झारखंड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के स्टेट लॉ कमीशन ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार से कड़े कानून की मांग की है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल और सचिव सपना त्रिपाठी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज्य में बड़े पैमाने पर पहचान छिपाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में गरीब हिंदुओं और खास तौर पर एससी/एसटी को लालाच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार से कानून बनाने की सिफारिश की है। जिस योगी सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है।

मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की तलाश में योगी सरकार

इकबाल अंसारी 67 एकड़ जमीन में से ही मस्जिद के लिए भूमि चाहते हैं।

अयोध्या

अयोध्या में नई मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन के प्रस्ताव को मुस्लिम पक्षकार स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन तलाशने की कवायद में जुट गई है। योगी सरकार ने मस्जिद के लिए अयोध्या में ही तीन जगह भी चिन्हित की हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में खोजनी शुरू कर दी थी। इस कड़ी में योगी सरकार ने मस्जिद के लिए तीन जगह चिन्हित की हैं। इसमें एक जगह डाभासेमर में नवोदय

विद्यालय के सामने, दूसरी जमीन मलिकापुर प्राइमरी स्कूल के पास चिन्हित की गई है। तीसरी जगह चांदपुर हरिवंश के पास देखी गई है. ये तीनों जगह अयोध्या सीमा क्षेत्र में हैं।

अयोध्या जमीन विवाद पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अयोध्या में यह विवाद दशकों से चला आ रहा था। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया था। जबकि, कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।

मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन लेने पर अभी मुस्लिम समुदाय एकमत नहीं है। अयोध्या मामले से जुड़े पक्षकारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए पक्षकार ने साफ तौर पर 5 एकड़ जमीन न लेने का फैसला किया। अयोध्या मामले से जुड़े मुख्य पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी जमीन लेने के पक्ष में हैं, लेकिन वह 67 एकड़ जमीन में से ही मस्जिद के लिए भूमि चाहते हैं। वहीं, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अभी तक जमीन लेने के मुद्दे पर फैसला नहीं कर सका है। हालांकि बोर्ड ने कहा कि सरकार जब मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन का प्रस्ताव देगी, तब इस संबंध में विचार किया जाएगा. ऐसे में देखना है कि मुस्लिम पक्षकार जमीन लेते हैं या नहीं।